<u>न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 41/2020 (उदयपुर डिक्री)</u>

भैरूसिंह पिता उदयसिंह राजपूत, निवासी जमुनाखेडा (कुण्डई), तहसील भीण्डर, जिलाउदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. कालू पिता खेमा डांगी, नि0 भूणा तालाब (कुण्डई), तह0 भीण्डर, जिला उदयपुर
2. वीरा पिता नानजी डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), मृतक के बजाय :—

2/1. श्रीमती सखी पुत्री स्व. नंगा पौत्री स्व. वीरा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई)

2/2. श्रीमती नवली पत्नी स्व. वक्ता पुत्रबधू स्व. वीरा डांगी, नि. भूणा तालाब (कुण्डई)

2/3. देवा पुत्र स्वर्गीय वक्ता पौत्र स्वर्गीय वीरा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई)

2/4. श्रीमती रामडी पुत्री स्व. वीरा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तह. भीण्डर

2/5. श्रीमती पूरी पुत्री स्व. वीरा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तहसील भीण्डर

2/6. श्रीमती लाली पुत्री स्व. वीरा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तह0 भीण्डर

2/7. कमला पुत्र स्वर्गीय वीरा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तहसील भीण्डर

3. अमरा पिता नानजी डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), मृतक के बजाय :—

3/1. मेघा पिता स्वर्गीय अमरा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तहसील भीण्डर

4. नाथूलाल पिता वेणा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तहसील भीण्डर
5. शंकरलाल पिता वेणा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तहसील भीण्डर
6. श्रीमती हिरकी पिता वेणा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तहसील भीण्डर
7. श्रीमती केसुडी पिता वेणा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तहसील भीण्डर
8. श्रीमती कुरीबाई पत्नी वेणा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तहसील भीण्डर
9. कना पिता पुरिया डांगी, निवासी वाणिया तलाई, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्धनिर्णयवडिक्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर दिनांक 19.04.2017प्रकरण सं. 412/2013

———::———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u>:—1.श्री दुर्गासिंह शक्तावत/विमल भटनागर अभि.अपीलान्टगण

2.श्री अभिमन्यु जाटअभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

3. श्री सत्यप्रकाश [illegible] अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टसंख्या 1,3/1

4. श्री [illegible] अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयदिनांक25–07–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा कुण्डई में आराजी नंबर 1357, 1365,1366, 1377,1378,1379,1380, 1381, 1382, 1387,1388/1किता 6 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 1, 2 के 2/6 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के 1/6 हिस्से से एवं प्रतिवादी संख्या 8 के 1/6 हिस्से से दर्ज है एवं इसी अनुसार मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु कानूनी रूप से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 8 कन्ना ने अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में विक्रय कर दिया है, जिससे मौके पर विवाद शुरू हो गया। प्रतिवादी संख्या 9 खरीदी गयी भूमि के अलावा वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी करते हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजियात के उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 9 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से की भूमि में उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02–07–2015 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 19–04–2017 को अंतिम डिक्री जारी की,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 9द्वारा यह अपील दिनांक 06–07–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ओर से वकील श्री अभिमन्यु जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3/1 की ओर से वकील श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। दिनांक 06–07–2020 को प्रार्थी/अपीलान्ट अपनी भूमि पर साफ सफाई कर रहा था,तब रेस्पोन्डेन्ट ने आकर कहा कि यह भूमि उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

खाते दर्ज हो चुकी है, जिस पर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विपक्षी/अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में जानबूझकर अनुपस्थित रहे हैं एवं जवाबदावा पेश नहीं किया। अपीलान्ट/प्रार्थी को जानकारी वर्ष 2017 से ही थी, फिर भी जानबूझकर अनभिज्ञ बताकर अपील करीब 3 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पर खारिज किया जाकर अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117 एवं आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 188 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।अधिनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री दिनांक 19–04–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–07–2020को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 3 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। तीन वर्ष पश्चात् प्रस्तुत अपील के लिए अपीलान्ट ने जो कारण अपने प्रार्थना पत्र एवं वक्त बहस बताये हैं वह न तो उचित कारण प्रतीत हैं एवं न ही इतने विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण बताया है, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है, जैसाकि कि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 117 के अवलोकन से स्पष्ट है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए बताया कि दिनांक 23–12–2016 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट की बिना जानकारी के राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सूचना पत्र पर अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर कर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय को गुमराह करते हुए अंतिम डिक्री प्राप्त कर ली, जबकि अपीलान्ट का कब्जा विवादित आराजियात पर क्रय दिनांक से पूर्ववर्ती स्थापित कब्जे अनुसार चला आ रहा है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि शून्य होकर निरस्त योग्य है। लोक अदालत में सभी पक्षकारों की सहमति से निर्णय किये जाते हैं, किसी एक भी पक्षकार की सहमति न हो तो लोक अदालत में समझौता नहीं किया जा सकता। बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण पुनः अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2008 (7) सुप्रिम पेज 238 सुप्रिम कोर्ट ऑफ इण्डिया प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अपीलान्ट भैरूसिंह का दिनांक 09–10–2013 का सम्मन उसकी पुत्री प्रियंका को तामिल हुआ, फिर भी इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद भी इनके 5 मौके दिये गये फिर भी अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ। अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौका पर्चा व सूचना पत्र पर हैं। हम अनपढ़ लोग कैसे इनके हस्ताक्षर करवा सकते हैं। अगर इन्हें कोई आपत्ति थी तो प्रारम्भिक डिक्री के समय करते। मुझे जहां हिस्सा दिया गया वहां मैं काबिज हूॅं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर का अध्ययन किया। पत्रावली में दिनांक 09–10–2013 को प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 8 तक अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। दिनांक 02–07–2015 को राजस्व लोक अदालत में वादी की उपस्थिति में दावा निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। अपीलान्ट द्वारा इस प्राथमिक डिक्री को भी कभी चुनौती नहीं दी गयी और न ही आपत्ति दर्ज करवाई है। अपीलान्ट का यह कहना कि हमें लोक अदालत की सूचना नहीं दी गयी उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि यह सही नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 02–07–2015 को ही एक तरफा कार्यवाही का निर्णय हो चुका था। अतः उन्हें सूचित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त निर्णय में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि निर्णय राजीनामे से किया गया। इसके अतिरिक्त निर्णय में तहसीलदार भीण्डर को कमिश्नर नियुक्त कर समस्त पक्षकारों को सूचित कर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसकी पालना में सूचना पत्र जारी कर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर भी हैं, जिसके विषय में अपीलान्ट का कहना है कि यह हस्ताक्षर उसी के हैं, परन्तु उस दिन वह अपनी ड्यूटी पर तैनात था अतः यहां हस्ताक्षर कैसे हुये। जाली तरीके से मेरे हस्ताक्षर कॉपी किये गये। इसी विषय में अपीलान्ट द्वारा एक एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गई परन्तु उस पर क्या कार्यवाही लग गई। अपीलान्ट का कहना है कि सूचना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malviya
Date: 2023.08.01 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

पर भी उसके फर्जी हस्ताक्षर हैं। इस आधार पर रेस्पोन्डेन्ट ने अंतिम डिक्री प्राप्त कर ली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक ऐसी डिक्री अवैध है। इसके प्रत्युत्तर में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र पेश कर कथित जाली हस्ताक्षरों की एफ. एस.एल. जांच का निवेदन किया जिसे न्यायालय द्वारा उचित नहीं समझा गया। यहां उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा बंटवाड़ा मौका पर्चा पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और तत्कालीन समय व दिनांक को हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात होना भी जाहिर किया है। अतः एक व्यक्ति दो जगह कैसे उपस्थित हो सकता है। इस सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया तो यह स्पष्ट है कि जब तक हस्ताक्षर किसी भी जांच में जाली प्रमाणित नहीं हो जाये उन्हें गलत मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिना किसी ठोस साक्ष्य के यह साबित नहीं होता है कि असली हस्ताक्षर बंटवारा मौका पर्चा पर जाली तरीके से कॉपी किये गये हैं। अतः मौका पर्चा प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की दिनांक 19–04–2017 की आदेशिका से स्पष्ट है पक्षकार संतुष्ट होने से वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया गया है और मौजा कुण्डई की आराजियात का बंटवाड़ा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एवं विधि सम्मत है। प्रश्न जाली हस्ताक्षर एवं एक ही दिन दो जगह उपस्थिति का है तो अपीलान्ट इसे साबित करने में नाकाम रहे और यह प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी है। अतः अपीलान्ट इस सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

उक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट अपील मेमों के कथनों को साबित करने में विफल रहे। अपीलान्ट अपने जाली हस्ताक्षर होने से सम्बन्धित ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की गयी है। प्राथमिक डिक्री पर कोई आपत्ति अपीलान्ट द्वारा नहीं की गयी है एवं अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व भी विधिवत समस्त कार्यवाही की गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री उचित प्रतीत होती है एवं अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

फलस्वरूप अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19–04–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।निर्णय आज दिनांक 25–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.** .....

भैरूसिंह पिता उदयसिंह राजपूत, निवासी जमुनाखेड़ा (कुण्डई), तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर

बनाम

कालू पिता खेमा डांगी, निवासी भूणा तालाब (कुण्डई), तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**41 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**वल्लभनगर**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**19**.....माह.....**04**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**.....माह.....**07**.....सन् **2023** रूबरू.....
व हाजरी..**दुर्गासिंहशक्तावत/विमलभटनागर**...मिनजानिब अपीलान्ट व..**अभिमन्युजाट/सत्यप्रकाशव्यास**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19–04–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ....**X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**07**.....**2023** को जारी किया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:12:19 IST
Reason: SelfAttested